(53)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

राघवेन्द्र सिंह तोमर
बोर्ड ...
...

PBR/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/4946

अधीक्षक
...टोरेट, होशंगाबाद

1. संतोष कुमार मालवीय आ. श्यामसिंह मालवीय
   निवासी सरदार वार्ड सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद
2. सोमेश सटोके आ. गंगाविष्णु सटोके
3. गौरव कुमार आ. कन्नूलाल
4. सुरेन्द्र सिंह आ. बारेलाल पुरवैया
5. राजकुमार आ. हरिशंकर
6. गुरूदयाल आ. नर्मदाप्रसाद

सभी निवासी सोहागपुर तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद .... आवेदकगण

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, होंशगाबाद
2. श्री नारायणदास आ. होतलदास छाबड़िया
   निवासी सोहागपुर तह. सोहागपुर जिला होशंगाबाद .... अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका धारा 50 म.प्र.भू–राजस्व संहिता के अंतर्गत

आवेदकगण यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 94/अपील/2011–12 संतोष कुमार विरूद्ध म.प्र.राज्य मे पारित आदेश दिनांक 15.06.2017 जो कि कलेक्टर महोदय होशंगाबाद द्वारा प्रकरण क्रमांक 9/अ59 वर्ष 2008–09 में पारित आदेश दिनांक 17.10.2011 से उत्पन्न हुआ के विरूद्ध असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधार एवं कारणों पर प्रस्तुत करते है :–

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर / निगरानी / होशंगाबाद / भूरा / 17 / 4946 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अधीनस्थ आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–6–2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि कलेक्टर के द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–59/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 13–10–1992 को स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन में लिया जाकर निरस्त किया गया है एवं भूमि सर्वे नम्बर 29 मूल रूप से शासकीय होकर म0प्र0शासन कब्रिस्तान मद में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये हैं, क्योंकि उक्त भूमि पर कब्रिस्तान है। इसलिये कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखते हुये अपील अस्वीकार करने में आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अतः प्रथमदृष्टया यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	